

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.4(2)साप्र/5/2015

जयपुर, दिनांक: 21.12.2015

—: आदेश :—

बजाजनगर अपार्टमेन्ट, गांधीनगर, जयपुर में निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये राशि रूपये 500/- (अक्षरे पाँच सौ रूपये मात्र) के भुगतान पर एक वर्ष अथवा नियमित आवास आवंटित होने तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा अस्थाई आवंटन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम व पद	ग्रेड-पे	वरियता संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक	राजकीय आवास संख्या
1.	श्री विजेन्द्र वर्मा, मुख्य अभियन्ता (तकनीकी), जन स्वा0 अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।	6600/-	32/2014	31.10.2034	ए-1, बजाजनगर, अपार्टमेन्ट, बजाज नगर, जयपुर
2.	डा. राजेन्द्र प्रसाद बुगालिया, असिस्टेंट प्रोफेसर (सर्जरी), सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर।	6600/-	33/2014	31.12.2040	बी-1-19, बजाजनगर, अपार्टमेन्ट, बजाज नगर, जयपुर
3.	श्री विजय कुमार दलाल एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, उपनिदेशक, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर	6600/-	37/2014	31.08.2040	ई-11-60, बजाजनगर, अपार्टमेन्ट, बजाज नगर, जयपुर
4.	डा0 शशिधर हरव्यासी, चिकित्सा अधिकारी, नेत्र विभाग, सवाईमान सिंह चिकित्सालय जयपुर।	6600/-	40/2014	30.06.2032	एफ-11-70, बजाजनगर, अपार्टमेन्ट, बजाज नगर, जयपुर
5.	डा0 प्रेमचन्द मीना, सीएएस रेजीडेन्ट चि.अ., फोरेन्सिक मेडिकल विभाग चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग, जयपुर	6600/-	48/2014	30.04.2034	जी-1-79, बजाजनगर, अपार्टमेन्ट, बजाज नगर, जयपुर
6.	श्री रमेश चन्द भारद्वाज (आर.ए.एस.) उप सचिव एवं अति. निदेशक-11, प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर	6600/-	51/2014	31.12.2017	जी-11-82, बजाजनगर, अपार्टमेन्ट, बजाज नगर, जयपुर
7.	श्री बी. के. चौधरी, उप मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स (मुख्यालय), जयपुर (राज.)	7600/-	54/2014	30.04.2021	एच-87, बजाजनगर, अपार्टमेन्ट, बजाज नगर, जयपुर
8.	श्री गोपाल कृष्ण, डिप्टी डायरेक्टर डी.ओ.आईटी. एण्ड सी जयपुर	6600/-	55/2014	31.05.2027	एच-88, बजाजनगर, अपार्टमेन्ट, बजाज नगर, जयपुर
9.	डा0 रमेश कुमार, वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी, आयोजना अनुभाग पशु पालन निदेशालय, जयपुर	6600/-	58/2014	31.12.2026	एच-1-92, बजाजनगर, अपार्टमेन्ट, बजाज नगर, जयपुर
10.	श्री दीपकराज, एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर	6600/-	71/2014	30.11.2041	एच-11-95, बजाजनगर, अपार्टमेन्ट, बजाज नगर, जयपुर
11.	श्री मुकेश कुमार मीणा नर्स द्वितीय एसएमएस होस्पिटल जयपुर	4200/-	48/2013	28.02.2046	ए-11-11, बजाजनगर, अपार्टमेन्ट, बजाज नगर, जयपुर
12.	श्रीमती विमलेश कुमारी वरिष्ठ अध्यापक, रा.मा. विद्यालय जामडोली जयपुर	4800/-	49/2013	31.08.2036	सी-27, बजाजनगर, अपार्टमेन्ट, बजाज नगर, जयपुर
13.	श्री सन्तोष कुमार महावर नर्स द्वितीय, एसएमएस होस्पिटल जयपुर	4200/-	52/2013	31.12.2047	ई-11-59, बजाजनगर, अपार्टमेन्ट, बजाज नगर, जयपुर
14.	डा. देवेश्वर देव, चिकित्सा अधिकारी, जे. के. लोन होस्पिटल जयपुर	5400/-	53/2013	30.04.2040	एच-11-96, बजाजनगर, अपार्टमेन्ट, बजाज नगर, जयपुर

उक्त आवंटन पर निम्न शर्तें लागू होगी :-

- आवंटित आवास अस्थाई आवास है। आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में प्राप्त करना होगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण तथा सेवानिवृत्ति हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।

4. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
5. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा, अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
6. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी :-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
7. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से



(अनिल कुमार गुप्ता)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0 विभाग, (विधुत वृत्त) जयपुर।
5. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
6. अधिशाषी अभियन्ता, /सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा दें।
7. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि0वि0निगम लि. गांधीनगर, जयपुर।
8. अधीक्षक, सवाई मानसिंह अस्पताल।
9. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष जयपुर।
10. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी।
11. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
13. निजी सहायक, शासन उप सचिव (ए) सामान्य प्रशासन विभाग।
14. सहायक प्रोग्रामर, सा.प्र.वि. कृपया आवंटन पत्र एवं वरीयता सूची वेबसाइट पर डालें।
15. रक्षित पत्रावली।



शासन सहायक सचिव